BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

(A Statutory body under Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan, R. K. Puram, New Delhi – 110066
Website: www.beeindia.gov.in, Ph: 011-26766700

KIND ATTENTION : ENERGY USERS IN 13 NOTIFIED SECTORS

Submission of Report on the Status of Energy Consumption under Energy Conservation Act 2001 (52 of 2001)

All users/class of users of energy in the following energy intensive sectors having Annual Energy Consumption of and above the specified limit shown against the following energy intensive sectors are notified as designated consumers vide S.O. 394 (E) dated the 12th March, 2007, S.O. 3542 (E) dated 29th Dec. 2015, S.O. 1388(E) dated 02nd May, 2017 and 502147 (E) Dated 17th June, 2020, under clause (e) of section 14 of the Energy Conservation Act (52 of 2001).

S. No.	Notified Sector	Threshold Energy Consumption in metric tonne of oil equivalent (mtoe) per year
1.	Aluminium	7,500
2.	Cement	
	(a) Integrated Cement Unit	30,000
	(b) Cement Grinding Unit	10,000
3.	Commercial Buildings or Establishments	
	(a) Hotels	500
	(b) Airports	500
4.	Chlor-Alkali	12,000
5.	Electricity Distribution Companies (DISCOMs)*	*
6.	Fertilizer	30,000
7.	Iron & Steel	20,000
8.	Pulp & Paper	20,000
9.	Petroleum Refineries	90,000
10.	Petrochemical units having gas crackers or naphtha crackers or both	1,00,000
11.	Railways	
	(a) All Zonal Railways (Traction)	70,000
	(b) Workshops	750
	(C) 8 Production Factories of Railways namely, ICF, RCF, CLW, DLW, DCW, RWF, MCF & RWP	-
12.	Textile	3,000
13.	Thermal Power Stations	30,000

* All entities having issued distribution licence by State/Joint Electricity regulatory commission under electricity Act, 2003 (36 of 2003) are Notified as Designated Consumers (DCs) vide S.O. 3445(E) dated 28.09.2020.

All units/establishment consuming more than the listed threshold energy consumption under respective sectors, notified by the Central Government under S.O. 687 (E) dated the 30th March, 2012, S.O. 1264 (E) dated 31st March, 2016 and S.O. 998(E) dated 30th March, 2017, S.O. 1409(E) dated 28th March, 2018, S.O. 1473(E) dated 29th March, 2019, S.O. 1254(E) dated 13th April, 2020 are requested to submit to the concerned designated agency, with a copy to the Bureau of Energy Efficiency, a report on the status of Annual Energy Consumption, together with their annual production, for the last two years, namely, 2018-19 and 2019-20 in Form 1 notified under clause (l) of Section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), duly authenticated by the Energy Manager/Chief Executive Officer.

A copy of the required sector applicable Pro-forma or Form-I could be downloaded from BEE website : https://beeindia.gov.in/content/pat-performa

If any person fails to submit a report on the status of annual consumption etc by 31st August,2021, he shall be liable to a penalty under clause 26 of the Energy Conservation Act, 2001.

For more information/query please contact us on **011-26766700** or send mail on **newdc@beenet.in.**

Mission Director
NMEEE

DAVP 34106/11/0004/2122

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय)
चौथा तल, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली — 110066
वेबसाइटः www.beeindia.gov.in दूरभाषः 011-26766700

सत्यमेव जयते

ऊर्जा जीवन है, संरक्षण करें
बी ई ई
BEE
Energy is Life, Conserve it

ध्यान दें: 13 अधिसूचित क्षेत्रों के ऊर्जा प्रयोक्ता

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) के अंतर्गत ऊर्जा खपत की स्थिति पर रिपोर्ट की प्रस्तुति

निम्नलिखित ऊर्जा गहन क्षेत्रों में ऊर्जा के सभी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता श्रेणियां जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत निम्नलिखित ऊर्जा गहन क्षेत्रों के सामने विनिर्दिष्ट सीमा तक और उससे अधिक है, को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ड.) के अंतर्गत का.आ. 394 (अ.) दिनांक 12 मार्च, 2007, का.आ. 3542 (अ.) दिनांक 29 दिसंबर, 2015, का.आ. 1388 (अ.) दिनांक 02 मई, 2017 और का.आ. 502147(अ.) दिनांक 17 जून, 2020 द्वारा नामित उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

क्र. सं.	अधिसूचित क्षेत्र	मीट्रिक टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) प्रति वर्ष ऊर्जा की न्यूनतम खपत
1.	एल्यूमिनियम	7,500
2.	सीमेंट	
	(क) एकीकृत सीमेंट यूनिट	30,000
	(ख) सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट	10,000
3.	वाणिज्यिक भवन या स्थापनाएं	
	(क) होटल	500
	(ख) हवाई अड्डा	500
4.	क्लोर–अल्कली	12,000
5.	विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम)*	*
6.	उर्वरक	30,000
7.	लौह और इस्पात	20,000
8.	लुगदी और कागज	20,000
9.	पेट्रोलियम रिफाइनरियां	90,000
10.	पेट्रोरसायन यूनिटें जिनमें गैस क्रैकर या नेफ्था क्रैकर या दोनों	1,00,000
	शामिल हों	
11.	रेलवे	
	(क) सभी जोनल रेलवे (ट्रैक्शन)	70,000
	(ख) कार्यशालाएं	750
	(ग) रेलवे की 8 उत्पादन फैक्टरियां नामतः आईसीएफ, आरसीएफ, सीएलडब्ल्यू, डीएलडब्ल्यू डीसीडब्ल्यू, आरडब्ल्यूएफ, एमसीएफ और आरडब्ल्यूपी	-
12.	वस्त्र	3,000
13.	थर्मल पॉवर स्टेशन	30,000

*राज्य/ संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) के तहत जिन कंपनियों को वितरण लाइसेंस जारी किए गए हैं, को दिनांक 28.09.2020 के का.आ. 3445(अ.) के द्वारा नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा का.आ. 687(अ.) दिनांक 30 मार्च, 2012, का.आ. 1264(अ.) दिनांक 31 मार्च, 2016 और का.आ. 998(अ.) दिनांक 30 मार्च, 2017, का.आ. 1409(अ.) दिनांक 28 मार्च, 2018, का.आ. 1473(अ.) दिनांक 29 मार्च, 2019, का.आ. 1254(अ.) दिनांक 13 अप्रैल, 2020 द्वारा अधिसूचित संबंधित क्षेत्रों के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रारंभिक ऊर्जा खपत से अधिक खपत करने वाली सभी इकाइयों/प्रतिष्ठानों को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 के 52) की धारा 14 के खंड (1) के तहत अधिसूचित फॉर्म 1 में ऊर्जा प्रबंधक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले दो वर्षों अर्थात् 2018–19 और 2019–20 के उनके वार्षिक उत्पादन के साथ वार्षिक ऊर्जा खपत की स्थिति पर एक रिपोर्ट संबंधित नामित एजेंसी को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जाता है जिसकी एक प्रति ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को भी दी जाए।

अपेक्षित क्षेत्र से संबंधित प्रोफार्मा या प्रपत्र–। की प्रति बीईई की वेबसाइटः https://beeindia.gov.in/content/pat-performa से भी डाउनलोड की जा सकती है।

यदि कोई व्यक्ति 31 अगस्त, 2021 तक वार्षिक खपत आदि की स्थिति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के खंड 26 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

अधिक जानकारी/पूछताछ के लिए कृपया हमसे 011–26766700 पर संपर्क करें या newdc@beenet.in पर मेल भेजें।

मिशन निदेशक
एनएमईईई

DAVP 34106/11/0004/2122